

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान संशोधन वधियक, 2021

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान वधियक, 2021, राज्यसभा

मेन्स के लयः

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान वधियक, 2021 के वभिन्न प्रावधान एवं इनका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राज्यसभा](#) में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान वधियक, 2021 (NIPER) पारति कया ।

- इसके माध्यम से 'राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अधनियम, 1998' में संशोधन कया जायेगा, जसके तहत पंजाब के मोहाली में 'राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान' की स्थापना की गई और इसे राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषति कया ।

प्रमुख बडु

- वधियक के संबंध में सामान्य तथ्य:
 - राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान की स्थति:
 - यह अहमदाबाद, हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी तथा रायबरेली में स्थति औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के छह और संस्थानों को 'राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान' का दर्जा देने का प्रयास करता है ।
 - सलाहकार परषिद की स्थापना:
 - परषिद एक केंद्रीय नकिया होगी, जो फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान तथा मानकों के रखरखाव के समन्वति वकिस को सुनशिचति करने के लयि सभी संस्थानों की गतिविधियों का समन्वय करेगी ।
 - परषिद के कार्यों में शामिल हैं:
 - पाठ्यक्रम की अवधा से संबंधति मामलों पर सलाह देना, भरती के लयि नीतियों बनाना, संस्थानों की वकिस योजनाओं की जाँच और अनुमोदन करना, केंद्र सरकार को धन आवंटन के लयि सफारिशों हेतु संस्थानों के वार्षकि बजट अनुमानों की जाँच करना ।
 - बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को युक्तसिगत बनाना:
 - यह वधियक प्रत्येक NIPER के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 23 से 12 सदस्यों की मौजूदा संख्या से युक्तसिगत बनाता है और संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के दायरे और संख्या को बढाता है ।
 - महत्त्व:
 - NIPERs, IIT की तरज पर प्रशासति होंगे ।
 - NIPER अनुसंधान में मदद करेगा जससे भारत में अधकि पेटेंट सृजन कया जा सकता है, जसका अर्थ यह होगा किराष्ट्र उच्च लागत वाली औषधा का उत्पादन कर सकता है ।
 - वधियक से संबंधति मुद्दे:
 - अनुसूचति जाति और अनुसूचति जनजाति (अत्याचार नवारण) अधनियम, 1989 (एससी/एसटी अधनियम), ओबीसी और महिलाओं के साथ राज्य सरकारों को NIPERs की शीर्ष परषिद में शामिल नहीं कया गया है ।
 - स्वायत्तता और सत्ता के अति-केंद्रीकरण जैसे मुद्दे भी चतिनीय हैं ।
 - वधियक में कहा गया है किरस्तावति परषिद को इन संस्थानों के वतितीय, प्रशासनकि और प्रबंधकीय मामलों के संबंध में अत्यधिक शक्तियों के साथ अधिकार दया गया है, जसि बहुत सावधानी से संचालति कया जाना है ।
 - वधियक संभावति रूप से संस्थानों की स्वायत्तता से समझौता करता है क्योंकि परषिद ज्यादातर केंद्र सरकार के नौकरशाहों और कुछ सांसदों से मलिकर नरिमत होगी, जसिमें कोई नरिणय कसिी वशिष संस्थान के सर्वोत्तम हति हो प्रभावति कर सकता है ।

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPERs)

- NIPER, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (Ministry of Chemicals and Fertilizers) के फार्मास्यूटिकल्स वभाग के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान है।
 - राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान एक ऐसा स्वायत्त निकाय/संस्थान है जिसके पास परीक्षा आयोजित करने और शैक्षिक प्रमाण पत्र/डिग्री प्रदान करने की शक्ति होती है।
 - उन्हें केंद्र सरकार से वित्त सहायता प्राप्त होती है।
- इस संस्थान में न केवल देश के भीतर बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया एवं अफ्रीकी देशों में भी औषधविज्ञान एवं संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है।
- NIPER, मोहाली 'एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़' एवं 'एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़' का सदस्य है।
 - वर्ष 1925 में इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड (Inter-University Board- IUB) के रूप में गठित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (Association of Indian Universities- AIU), भारत के सभी विश्वविद्यालयों का एक संघ है। यह सक्रिय रूप से उच्च शिक्षा के विकास और विकास में संलग्न है।
 - राष्ट्रमंडल विश्वविद्यालयों का संघ [राष्ट्रमंडल](#) के 50 से अधिक देशों में उच्च शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिये समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/niper-amendment-bill-2021>

